प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 46 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 18 – 25 नवम्बर 2019 मूल्य पांच रूपए

केन्द्र के मार्च 2016 के पत्र से सरकार के कर्जो पर उठे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार का कर्जभार पिछले कुछ वर्षो से तय सीमा से बढ़ता जा रहा है और केन्द्र सरकार के वित्त विभाग ने भी इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए 29 मार्च 2016 को प्रदेश के प्रधान सचिव वित्त को पत्र लिखा था। वित्त विभाग के निदेशक द्वारा जारी इस पत्र में वित्तिय वर्ष 2016 – 17 के लिये राज्य की कर्ज की सीमा 3540 करोड़ आंकी गयी थी। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि The State may Please ensure adherence with this ceiling while assessing resources for its annual Plan for 2016-17 and also ensure that the States incremental borrowings remain with in this ceiling during 2016-17. The ceiling covers all sources of borrowings including open Market Borrowings, negotiated loans from financial institutions, National Small Saving Fund loans, central Government loans including EAP's, other liabilities arising out of public account transfers under small savings, Provident funds, Reserve Funds, Deposits , etc., as reflected in statement 6 of the State's Finance Accounts. Further, in case the outstanding balances in Cash Credit Limits (CCL) Accounts for Food procurement operations, if any, by the State at the end of the financial year exceeds the opening balances at the beginning of the year, the net increase shall be considered against the borrowing space of the State for the year 2016-17, However, the additional borrowing limits proposed under UDAY to take over DISCOMs liabilities by participating States would be beyond the prescribed by the FFC and not to be counted against the Fiscal deficit limits of respective States as per decision taken.

केन्द्र का यह पत्र 29 मार्च को आया था लेकिन 10 मार्च 2016 को सदन में वित्तिय वर्ष 2016 – 17 के जो बजट दस्तावेज रखे गये थे उनमें 2016 – 17 के संशोधित अनुमानों में इसी वर्ष का कुल कर्जभार जीडीपी का 33.96% बताया गया है। बल्कि 31 मार्च को वित्तिय वर्ष के बन्द होने से पहले भी 2400 करोड़ का कर्ज लिया गया था। वर्ष 2017 चुनावी वर्ष था और दिसम्बर में ही सरकार बदल गयी थी। जयराम ठाकुर मुख्यमन्त्री बन गये थे। जयराम ने जब सदन में अपना पहला बजट भाषण रखा था तब उसमें पूर्व की वीरभद्र सरकार पर यह आरोप लगाया था कि वीरभद्र के इस शासनकाल में 18787 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लिया गया है। कर्ज के आंकड़े रखते हुए जयराम ने सदन को बताया था कि जब 2007 में धूमल सरकार ने सत्ता संभाली थी तब प्रदेश का कर्जभार 19977 करोड़ था जो कि 2012 में सत्ता छोड़ते समय 27598 करोड़ था लेकिन वीरभद्र के शासनकाल में 18 दिसम्बर 2017 को यह कर्ज बढ़कर 46385 करोड़ हो गया था। बजट दस्तावेजों में 31 मार्च 2018 को यह कुल कर्ज 47906.21 करोड़ दिखाया गया है इसके बाद 2018 – 19 में मुख्यमंत्री के ही बजट भाषण के अनुसार 4546 करोड़ का ऋण लिया गया है जिसका अर्थ है कि 31 मार्च 2019 को यह कर्जभार 52 हजार करोड़ से ऊपर चला जायेगा। 2017 – 18 की कैग रिपोर्ट अभी तक सदन में नही आयी है। इस रिपोर्ट में ही प्रदेश की वित्तिय स्थिति का सही खुलासा सामने आयेगा। इसके बाद चालू वित्तिय वर्ष में ऋणों की स्थिति पर विधानसभा के मानसून सत्र में आये जगत सिंह नेगी, राजेन्द्र राणा, मुकेश अग्निहोत्री और रामलाल ठाकुर के सवालों के जवाब में आयी जानकारी के मुताबिक जयराम सरकार अबतक 11329.85 करोड़ का ऋण ले चुकी है। जिसमें से 6600 से अधिक का ऋण अभी वापिस नही किया गया है।

ऋणों की इस तफसील से हटकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हर बजट में दिखायी जाने वाली पूंजीगत प्राप्तियां भी ऋण ही होती हैं और बजट दस्तावेज में इसे सकल ऋण ही दिखाया जाता है यह पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2017 – 18 में 6592.12 करोड़ और 2018 – 19 में 7730.20 तथा 2019 – 20 में 8330.75 करोड़ दिखायी गयी है। यह सारा ऋण किन साधनों से लिया गया है और इसमें कितना वापिस हो पाया है इसके बारे में स्थिति बहुत साफ नही है। भारत सरकार ने जो पत्र मार्च 2016में प्रदेश सरकार को भेजा है उसके मुताबिक प्रदेश सरकार तय सीमा से कहीं अधिक ऋण ले चुकी है और आगे ऋण लेने पर और कड़ी पाबंदी लग सकती है। भारत सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से पूरी विस्तृत जानकारी तलब की है। प्रदेश का वित्त विभाग इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार वित्तिय स्थिति बड़े ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है शायद भारत सरकार से केन्द्र पोषित योजनाओं में भी वांच्छित आर्थिक सहायता नही मिल पा रही है। दूसरी ओर आलम यह है कि मुख्यमन्त्री के पहले बजट भाषण में उनके नाम से तीस योजनाएं घोषित की गयीं और दूसरे बजट में सोलह योजनाएं घोषित हैं लेकिन इनमें से कितनी योजनाओं पर अमल हो पाया है और भारत सरकार के पत्र के अनुसार क्या कदम उठाये गये हैं इस पर कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नही हैं।

यह है केन्द्र का पत्र

No. 40(6) PF-I/2009 Vol.-II
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
(Plan Finance-I Division)

North Block, New Delhi, the 29th March, 2016.

To

The Principal Secretary (Finance),
Government of Himachal Pradesh,
Finance Department,
Shimla- 160017
Fax: 0177-2621859/2624520/2621586

Subject: Annual Borrowing Ceiling for the financial year 2016-17.

Sir,

The net borrowing ceiling for the financial year 2016-17 for your State has been calculated as Rs. 3,540 crore considering base Fiscal Deficit target of 3% as recommended by Fourteenth Finance Commission (FFC).

2. The State may please ensure adherence with this ceiling while assessing resources for its Annual Plan for 2016-17, and also ensure that the State's incremental borrowings remain within this ceiling during 2016-17. The ceiling covers all sources of borrowings, including Open Market Borrowings, Negotiated Loans from financial institutions, National Small Saving Fund loans, Central Government loans including EAPs, other liabilities arising out of public account transfers under small savings, Provident funds, Reserve Funds, Deposits, etc., as reflected in statement 6 of the State's Finance Accounts. Further, in case the outstanding balances in Cash Credit Limits (CCL) Accounts for Food procurement operations, if any, by the State at the end of the financial year exceeds the opening balances at the beginning of the year, the net increase shall be considered against the borrowing space of the State for the year 2016-17. However, the additional borrowing limits proposed under UDAY to take over DISCOMs liabilities by participating States would be beyond the limits prescribed by the FFC and not to be counted against the Fiscal deficit limits of respective States as per decision taken.

3. It is requested that the details of liabilities arising out of all source of borrowings as indicated in para 2 above and repayments thereof during 2014-15(Actuals), 2015-16 (Actuals) and 2016-17 (Estimated) may be shared in the enclosed format latest by 14th April 2016 to update our records for 2014-15 & 2015-16 and to arrive at tentative allocation of borrowing space available to the States during 2016-17.

4. The GSDP estimate arrived at for the year 2016-17 in accordance with FFC recommendations duly adjusted for GDP growth adopted in Union Budget 2016-17 is Rs. 1,17,989 Crore. Please note that this GSDP estimate shall be used for evaluation of fiscal parameters for 2016-17.

6. Since the primary responsibility of remaining within the overall debt/GSDP norms recommended by FFC and the borrowing ceiling shall remain with the State, it is advisable to continually track the liabilities so that the State does not inadvertently breach its net annual borrowing ceiling. State may also calibrate its borrowings with expenditure requirements and approach the market after assessment of its treasury holdings.

Yours faithfully

(Manmohan Sachdeva)
Director
Tel: 23095691

कर्ज के कुछ आंकडे

VI. राज्य सरकार के दायित्व ।

रुपए करोड़ों में

वर्ष	आन्तरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	कुल लोक ऋण	जी.आई.एस. जीपीएफ इत्यादि	अंशदान पैंशन योजना	अन्य दायित्व	कुल दायित्व
2002-03	6393.12	2521.38	**8914.50**	2484.42		1810.55	**13209.47**
2003-04	9490.41	1536.42	**11026.83**	2720.19		1230.54	**14977.56**
2004-05	12299.79	1097.61	**13397.40**	2981.02		1279.98	**17658.40**
2005-06	12868.46	1070.60	**13939.06**	3291.11		1442.81	**18672.98**
2006-07	13475.99	1019.57	**14495.56**	3613.14	1.11	1688.50	**19798.31**
2007-08	13808.36	1014.78	**14823.14**	4153.56	28.99	2236.15	**21241.84**
2008-09	15219.00	970.88	**16189.88**	4668.44	95.64	2197.43	**23151.39**
2009-10	16611.70	983.85	**17595.55**	5214.11	155.99	198.09	**23163.74**
2010-11	17533.13	959.65	**18492.78**	6102.36	183.17	182.54	**24960.85**
2011-12	18428.24	947.16	**19375.40**	6737.90	238.27	142.50	**26494.07**
2012-13	19624.27	1018.37	**20642.64**	7849.64	88.51	126.50	**28707.29**
2013-14	21647.06	1012.42	**22659.48**	8736.31	46.77	0.00	**31442.56**
2014-15	24127.33	1070.73	**25198.06**	9921.47	32.07	0.00	**35151.60**
2015-16	26860.87	1058.69	**27919.56**	10639.90	8.36	0.00	**38567.82**
2016-17	31493.97	1076.30	**32570.27**	11844.41	8.05	0.00	**44422.73**

इन आंकड़ों में एस0.एल0.आर0. उधार, एन0.एस0.एस0.एफ0. नाबार्ड, एच0.एफ0.डी0.सी0., एल0.आई0.सी0., एन0.सी0.डी0सी0., जी0.आई0. सी0. इत्यादि के रूप में बाजार से लिए गए ऋण, नान एस0.एल0.आर0. उधार और लोक लेखा के अन्तर्गत शीर्ष 8448 में रखी गई ब्याज सहित राशियॉ सम्मिलित है ।

इसमें राज्य सरकार द्वारा निजि क्षेत्र उपक्रम से लिए गए ऋण का दायित्व भी सम्मिलित है ।

हिमाचल को नशा मुक्त एवं स्वच्छ बनाने के लिए युवाओं में संकल्प शक्ति आवश्यकः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि युवा अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर देव भूमि हिमाचल को सही मायनों में नशा मुक्त एवं स्वच्छ बना सकते हैं। राज्यपाल सोलन के वाकनाघाट

स्थित जे.पी. विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ विचार-विमर्श सत्र को सम्बोधित कर रहे थे।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश तथा समाज हित में युवाओं की ऊर्जा का पूर्ण दोहन करने के लिए यह आवश्यक है कि युवा शक्ति स्वस्थ एवं जागरूक हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए युवाओं को नशे जैसे भयानक रोग से दूर रहना होगा। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों से आग्रह किया कि वे सदैव नशे से दूर रहने का संकल्प लें और अपने सहपाठियों को भी नशे से दूर रखने में सहायक बनें। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार का नशा शारीरिक एवं मानसिक हानि के साथ-साथ आर्थिक नुकसान तथा सामाजिक अपयश का कारण है। उन्होंने कहा कि युवा नशे से दूर रहकर ही अपने परिवार एवं राष्ट्र हित की दिशा में पूर्ण योगदान दे सकते हैं।

राज्यपाल ने युवाओं का आह्वान किया कि नशे को समाप्त करने का संकल्प लेने के साथ ही उन्हें देश व हिमाचल को स्वच्छ बनाने के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा। उन्होंने कहा कि समाज हित के इन कार्यो के लिए युवाओं का स्वस्थ रहना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को परामर्श दिया कि वे नियमित व्यायाम करें और स्वं अध्ययन के द्वारा सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहें।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि छात्रों को महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेकर सत्त प्रयत्नशील रहना चाहिए। उन्होंने छात्रों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर एवं प्रयोगशालाओं का निरीक्षण भी किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनोद कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा उन्हें विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

उद्योग मंत्री ने की सिंगापुर में कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता

शिमला/शैल। उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ने सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान (आईटीई) द्वारा आयोजित कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा कि सिंगापुर एक आधुनिक देश है जो पर्यावरण, तकनीक और विकास में अन्य देशों के लिए एक आदर्श है। सिंगापुर में उपलब्ध स्वच्छ वातावरण श्रेष्ठ है, जो इस देश को निवेश व व्यापार के लिए आदर्श गंतव्य बनाता है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आईटीई सिंगापुर के प्रयासों की सराहना की।

उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि निवेशकों को नई औद्योगिकी नीति के तहत सरकार द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में पर्याप्त विद्युत उत्पादन किया जा रहा है जिससे निवेशकों को अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में 7 और 8 नवम्बर, 2019 को पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का अयोजन भी किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि भारत को आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के तौर पर विकसित किया जाए। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम प्रदेश के 50 हजार युवाओं को कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत आगामी चार वर्षो में प्रशिक्षण प्रदान करेगी ताकि उन्हें विभिन्न उद्योग आधारित कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जा सके।

उन्होंने आईटीई को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण दिया और राज्य में तकनीकी शिक्षा में उपलब्ध अपार संभावनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि हमें एक्सचेंज प्रोग्राम की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को आवश्यक अनुभव मिल सके।

बिक्रम सिंह ने कहा कि वह इस कार्यशाला का हिस्सा बनकर बहुत प्रसन्न और सम्मानित अनुभव कर रहे है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रतिनिधिमंडल को इस कार्यशाला में आमंत्रित करने के लिए और अपने अनुभव को सांझा करने के लिए आईटीई सिंगापुर का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आईटीई सिंगापुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रूस पोह ग्योक हुयाट ने बिक्रम सिंह का स्वागत किया।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Office of the Executive Engineer Shimla Division No. III, HPPWD Shimla-3.
Web: www.hppwd.gov.in Email: ee-sml3-hp@nic.in Phone/ Fax No.:- 0177-2652832.
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form No. 6&8 are hereby invited by the **Executive Engineer, Shimla Division No. III, HP.PWD.** Shimla-3 on behalf of the Governor of H.P. for the following works from the eligible Contractors/Firms enlisted in HP.PWD, so as to reach in his office on or before **20-12-2019 up to 10.30 A.M.** and will be opened on the same day at **11.00 A.M.** in the presence of the intending Contractors/Firms or their authorized representatives. The tender form can be had from his office against cash payment (non-refundable) on any working day up to **4.00 P.M. on 19-12-2019** and the application for issue of tender form shall be received up to 4.00 P.M. on 18-12-2019.

The earnest money in the shape of National saving Certificate/Time deposit account/saving account in any of the post office in HP, duly pledged in favour of Executive Engineer, Shimla Division No-III must accompany with the application form for the tender offer. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason there to. Other conditions are applicable as perform No. 6&8. The offer shall remain open for 90 days.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Form No.	Cost of form
1.	S/R to Block-III at U.S.Club Shimla(SH:- P/F ceiling ,cupboard, plaster and P/L garsa stone in wall of block No.III back side to prevent dampness a/w plinth protection at the bore in set No.38).	Rs.1,90,335/-	Rs.3,800/-	One Month.	6&8	350/-
2.	S/R to A-2 and servant Qtr. attached with A-2 at Bemloe residence of Hon'ble Justice Sh. Vivek Thakur Judge at HP High Court.(SH:- Repair of toilet, kitchen, dog hut, R/Wall and WS & SI fitting etc.).	Rs.2,87,286/-	Rs.5,750/-	One Month.	6&8	350/-
3.	S/R to DDUZH building at Shimla(SH:- Steel work for grating over the drain in front of OPD's, Labour room and dialysis of the old building etc.).	Rs.1,76,560/-	Rs.3,530/-	One Month.	6&8	350/-
4.	S/R to Burj Cottage near peterhoff Shimla(SH:- P/F pine wood ceiling a/w 9mm thick BWP board and wood work etc.).	Rs.1,57,073/-	Rs.3,150/-	One Month.	6&8	350/-
5.	S/R to Willy park residential Qtrs. at Chaura Maidan Shimla.(P/F PVC flooring, painting and distempering etc. in set No.4,6 of block-A Set No.7 to 12 of block-B etc.).	Rs. 3,65,254/-	Rs.7,350/-	One Month.	6&8	350/-
6.	S/R to waiting hall at Oakover Shimla(SH:- P/F UPVC window in visitor waiting hall ground floor, first floor, PVC flooring in guest house room basement floor and cupboard in temple out side open parking).	Rs.3,29,858/-	Rs.6,600/-	One Month.	6&8	350/-
7.	S/R to Block-II Set No.8 at Richmound Shimla(SH:- Repair of kitchen, toilet and bath room etc.).	Rs.1,38,931/-	Rs.2,780/-	One Month.	6&8	350/-
8.	S/R to Block No.III Set No.25,24/3,1/12 at U.S.Club Shimla(SH:- P/F cupboard in 3/25,24/3 repair of tiles in set No.1/8,23/5,1/12 and 1/4 repair of wash basin etc.).	Rs.1,30,243/-	Rs.2,610/-	One Month.	6&8	350/-
9.	S/R to Burj House at peter hoff Shimla(SH:- P/F shuttering ply, PVC flooring, painting and distempering in first floor of building and out side wall of garage with expanded metal).	Rs.2,65,495/-	Rs.5,310/-	One Month.	6&8	350/-
10.	Up-gradation of O.T. in IGMC Shimla(SH:-P/L Granite stone in flooring in O.T. No.6&8).	Rs.4,70,686/-	Rs.9,420/-	One Month.	6&8	350/-

Terms & Conditions:--
1. The contractor/firm shall have his GST No. and attested copy of the same be attached with the application for issue of tender form.
2. The contractor/firm should attach attested copy of registration/renewal.
3. Copy of PAN card be attached with the application form.

Adv. No.2982/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा मनीष की शहादत पर शोक व्यक्त

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 18 नवम्बर, 2019 को सियाचीन के उत्तरी ग्लेशियर के नजदीक गश्त के

दौरान ग्लेशियर की चपेट में आ जाने के कारण जिला सोलन, कुनिहार खण्ड, गांव दोची के मुनीष की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 22 वर्षीय मनीष भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में कार्यरत थे।

राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में मनीष को एक देशभक्त और सच्चा सिपाही बताया है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने भगवान से दिवंगत आत्मा की शान्ति और शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनीष के निधन से उन्हें गहरा दुःख पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि वह मनीष के साहस और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्हें सलाम करते हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति भी अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त की है।

सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है खेलः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल चाहे कोई भी हो, खेल हमें जहां शारीरिक तौर पर तंदरुस्त करते हैं वहीं मानसिक तौर पर भी सुदृढ़ बनाते हैं। यह सकारात्मक सोच को भी विकसित

करते हैं। यह बात राज्यपाल ने शिमला में हिमाचल प्रदेश गोल्फ एसोसिएशन द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।

हिमाचल प्रदेश गोल्फ एसोसिएशन द्वारा अपनी स्थापना के 20 साल पूरे होने पर दो दिवसीय गोल्फ प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि इस गोल्फ टूर्नामेंट में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में गोल्फ के खेल को बढ़ावा देने में एसोसिएशन का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि हम फिट इण्डिया, हिट इण्डिया की बात करते हैं, इस के पीछे मंशा यह है कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है।

दत्तात्रेय ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदेश सरकार राज्य में खेलों को प्रोत्साहन दे रही है और हिमाचल के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न वर्गो के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश गोल्फ एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमेश गोयल ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा एसोसिएशन द्वारा संचालित गोल्फ गतिविधियों की जानकारी दी।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। प्रधानमंत्री के नवम्बर माह में हिमाचल प्रदेश के आगमन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री ने धन्यवाद व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा तथा प्रधानमंत्री से लम्बित विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति तथा राज्य सरकार को उदार सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने राज्य को हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से की मुलाकात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भेंट कर फोस्टर केयर एण्ड स्पोंसरशिप फण्ड की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति जिला प्रतिवर्ष करने का अनुरोध किया।

उन्होंने बाल संरक्षण सेवाएं योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बाल केन्द्र संस्था में चार सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने का और इनके वेतन के लिए बजट प्रदान करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने स्मृति ईरानी से आग्रह किया कि नए मापदण्डों में आईसीडीएस के अन्तर्गत 428 पदों पर तैनात कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी में छूट दी जाए

और इसे पहले की तरह केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा 90:10 अनुपात में की जाए।

केन्द्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में चल रही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी हासिल की और प्रदेश की उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने इस दौरान पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मात्र वन्दना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, युवतियों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और बाल सुरक्षा सेवाओं की समीक्षा की।

मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति के बारे में केन्द्रीय मंत्री को जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से रोहतांग टनल के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की तथा उनसे रोहतांग टनल के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि जनजातीय जिले लाहौल-स्पिति के लिए बर्फबारी के दौरान भी उचित सम्पर्क सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि मई, 2020 तक इस टनल का निर्माण कार्य पूरा करके इसे आरम्भ करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पिति के लोगों के फिलहाल रोहतांग टनल से आवाजाही के लिए सड़क मार्ग के रूप में टनल का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का भी आग्रह किया, क्योंकि प्रशासन द्वारा लाहौल-स्पिति सड़क मार्ग को अधिकारिक रूप से भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण घाटी का शेष भाग से सम्पर्क टूट जाता है। उन्होंने बीआरओ के अधीन सड़कों की हालत सुधारने का भी आग्रह किया तथा उनसे सीमा क्षेत्र की सड़कों के लिए जरूरत के अनुसार धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

केन्द्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री ने प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।

मंत्रालय हर सम्भव सहयोग देगा हिमाचल की परियोजनाओं को :निर्मला सीतारमण

शिमला/शैल। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि केन्द्र सरकार को सौंपी गई राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को शीघ्र

स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने शिमला, मनाली, धर्मशाला रज्जू मार्गो, ओवर हैड परिवहन प्रणाली पयोजनाओं और वन प्रबन्धन आदि योजनाओं पर केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की, जिन्हें केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि हिमाचल सरकार की सभी परियोजनाओं को उनका मंत्रालय हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगा।

वित्त मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस चर्चा में भाग लिया।

मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची भी बैठक में उपस्थित थे।

नितिन गडकरी ने अधिकारियों को लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने लम्बित चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यो में तेजी लाने का मामला केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखा, जिसमें परमाणु-सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग, नेरचौक-पण्डोह, किरतपुर साहिब-नेरचौक के अतिरिक्त हाल ही में घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिंजौर-बद्दी-नालागढ़, मटौर-शिमला एनएच-88, पठानकोट-मण्डी एनएच-20 शामिल हैं। उन्होंने सभी राष्ट्रीय उच्च मार्गों की मुरम्मत व जीर्णोद्धार का मामला भी उठाया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रज्जू मार्ग परियोजनाओं को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी, निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के अन्तर्गत बस अड्डे निर्माण कार्यो की स्वीकृति को शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया और कहा कि मनाली, हमीरपुर तथा बद्दी में चिन्हित स्थानों का दौरा कर मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। उन्होंने मंत्री को अवगत करवाया कि ड्राविंग और शोध संस्थान का कार्य भी लगभग पूर्ण होने वाला है और इसके लिए शेष राशि का आवंटन शीघ्र करने का आग्रह किया ताकि इसका का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने तांदी-संसारी नाला राज्य मार्ग को नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने का आग्रह किया और समदो-काजा-ग्रमफू सड़क को सीमा सड़क संगठन से राज्य लोक निर्माण विभाग को देने का आग्रह किया। उन्होंने क्यारलीघाट-शिमला बाईपास के रख-रखाव व अन्य कार्यो के लिए धनराशि की मांग की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से स्वारघाट-नेरचौक के हिस्से को स्तरोन्नत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से निधि उपलब्ध करवाने, इसके अतिरिक्त कुल्लू-मनाली एनएच-21 के लिए 7.50 करोड़ रुपये देने का आग्रह किया।

नितिन गडकरी ने अधिकारियों को लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए और राष्ट्रीय उच्च मार्ग परमाणु-सोलन की फोरलेनिंग का कार्य आगामी मार्च तक पूरा करने को कहा। उन्होंने शिमला-ढली बाईपास के कार्य को पुन: आरम्भ करने के मामले को एक सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने मटौर-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 के फोरलेनिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विचार विर्मश कर इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय से केन्द्र को अवगत करवाए ताकि यह मामला शीघ्र सुलझाया जा सके। उन्होंने शिमला में सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग के मंत्रालय का 'पे एण्ड अकाउंट' का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग को भी स्वीकृत दी। उन्होंने समदो-काजा-ग्रमफू सड़क को राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपने की मांग को भी स्वीकृति दी।

मण्डी जिला में हवाई अड्डा निर्माण के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति

शिमला/शैल। भारत सरकार ने मण्डी जिला में हवाई अड्डा निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन, आवास एवं शहरी मामले हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली में भेंट के बाद यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डी जिले में बनने जा रहे हवाई अड्डे का निर्माण राज्य सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण संयुक्त रूप से करेंगे। इसके लिए प्राधिकरण एक सप्ताह में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा जबकि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाएगी।

उन्होंने राज्य में हवाई अड्डो के विस्तारीकरण पर चर्चा करते हुए गगल में ए320 और शिमला व भुंतर में एटीआर74 में हवाई जहाज उतारने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने मौजूदा हवाई अड्डों के रनवे के विस्तार के लिए भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी बल्कि राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हवाई एम्बुलैंस सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान शर्तो के कारण बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक और विपरीत मौसम परिस्थितियों के चलते पर्यटकों के बचाव कार्य के लिए यह आवश्यक है।

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और दीर्घकालिक योजना तैयार करने की उनके सुझाव से सहमती जताई। मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री सिंगापुर में मिले भारत के उच्चायुक्त से

शिमला/शैल। उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ने सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त जावेद अशरफ से भेंट की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की और सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान में आयोजित कार्यशाला के बारे में भी जानकारी दी।

बिक्रम सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में उच्चायुक्त को अवगत करवाया। उन्होंने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए उपलब्ध अवसरों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में धर्मशाला में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विश्वभर के निवेशकों ने गहरी रूचि दिखाई।

उच्चायुक्त ने जन कल्याण और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए हिमाचल सरकार की सराहना की।

साँप, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों, और एक मूर्ख इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए..... चाणक्य

सम्पादकीय

धूर्तता और धोखे के सहारे राजनीति कब तक

राजनीति संभावनाओं का पिटारा और धूर्तता का अन्तिम पड़ाव होती है यह महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है। चुनाव पूर्व शिवसेना और भाजपा ने गठबन्धन करके चुनाव लड़ा तथा बहुमत हासिल किया। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आयी तब शिवसेना ने अढ़ाई वर्ष उनका भी मुख्यमन्त्री बनाये जाने की बात रखी जिसका भाजपा ने विरोध किया। शिवसेना ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और भाजपा ने इस आरोप का जवाब देने की बजाये राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। परिणामस्वरूप गठबन्धन टूट गया और लगा कि भाजपा शायद इस बार सिद्धान्त की राजनीति करने जा रही है क्योंकि उसने साफ कहा था कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नही है। इसी के साथ यह भी कहा था कि जिसके पास आंकड़ा हो वह सरकार बना ले। अन्यों को सरकार बनाने के लिये स्वभाविक था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सब आपस में मिलकर सरकार बनाये। इसके लिये प्रयास शुरू हुए तीनों दलों में सहमति बनी और संयुक्त रूप से तीनों दलों द्वारा राज्यपाल को पत्र सौंपने की स्थिति आ गयी। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया था कि अब तीनो दलों की ही सरकार बनने जा रही है तभी रात को एनसीपी के घर में सेंध लगाकर अजीत पवार को तोड़ा गया। अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों के उन हस्ताक्षरों को राज्यपाल को सौंपा जो उन्होंने बैठक में आने की उपस्थिति के नाम पर किये थे। सुबह भी बैठक के नाम पर अजीत ने विधायकों को बुलाया और सीधे राजभवन ले गया। जितने में यह विधायक इस खेल को समझ पाते उतने में शपथ ग्रहण ही संपन्न हो गया। यह सब तीन विधायकों ने शरद पवार के साथ एक पत्रकार वार्ता में कहा है। अजीत पवार को एनसीपी से निकाल भी दिया गया है। शरद पवार ने कहा कि सबकुछ जानकारी में था। इसमें सच क्या है इसको बाहर आने में समय लगेगा। लेकिन जो कुछ अजीत ने किया है वह राजनीतिक धूर्तता ही कहलाता है।

भाजपा ने जो कुछ किया है क्या उसे राजनीतिक संभावना कहा जा सकता है? शायद नहीं। क्योंकि एनसीपी के साथ सरकार बनना तब राजनीतिक संभावना माना जाता यदि उसके विधायक खुलेआम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते और इस आश्य का वाकायदा सार्वजनिक ब्यान जारी करके आते। लेकिन ऐसा नही हुआ है इस गणित में भी यह आचरण धूर्तता में ही आता है। लेकिन इस सब में यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अजीत पवार को यह सब क्यों करना पड़ा और येनकेन प्रकारेण सरकार बनाना भाजपा की विवशता क्यों थी। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे जिसमें हरियाणा में सारे दावे के बावजूद भाजपा को सरकार बनाने का बहुमत नही मिल पाया। अब झारखण्ड के चुनाव में एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यह सब राजनीतिक संद्धर्भो में इसलिये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मई में हुए लोकसभा चुनावों में मिले प्रचण्ड बहुमत के यह सब एकदम उल्ट है। इसपर भाजपा का चिन्तित होना स्वभाविक है। इस चिन्ता के निराकरण के लिये उसे अपने प्रबन्धकीय कौशल का ही संदेश देना राजनीतिक बाध्यता बन जाती है।

लेकिन इसी सब में यह सवाल फिर अपनी जगह खड़ा रह जाता है कि महाराष्ट्र में घटे पंजाब एण्ड महाराष्ट्र बैंक प्रकरण में प्रदेश के करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया है। पन्द्रह लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस प्रकरण की जांच में भाजपा से ही ताल्लुक रखने वाले नेताओं की गिरफ्तारीयां हुई हैं। इसी बैंक के प्रकरण में अजीत पवार का नाम आया है। इस प्रकरण की जांच चल ही रही है। ऐसे में यह सीधा संदेश जाता है कि अजीत ने इस प्रकरण की जांच में आने वाली आंच से बचने के लिये यह पासा बदल लिया है। इससे पहले भी कई राज्यों के ऐसे नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई में जांच चल रही थी। इसलिये आज राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा करना कि वह सिद्धान्त की राजनीति करेंगे और कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं आने देंगे एकदम गलत होगा। महाराष्ट्र का सारा खेल अप्रत्यक्ष में इसी भ्रष्टाचार के गिर्द घूम रहा है लेकिन इस खेल का सबसे भयानक पक्ष यह है कि इसमें लोकतान्त्रिक परम्पराओं की बलि दी जा रही है और जब यह प्रंसग शीर्ष अदालत तक पंहुच जाते हैं तब इसमें न्यायपालिका भी कई बार एक पक्षकार जैसा ही आचरण कर जाती है। अब यह प्रकरण भी शीर्ष अदालत में जा पहुंचा है। शीर्ष अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए रविवार को ही सुनवाई करके इसमें सभी पक्षों को नोटिस जारी करके सोमवार को सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है। कर्नाटक में भी इसी तरह की परिस्थितयां बनी थी और शीर्ष अदालत ने उसमें येदुरप्पा को बहुमत साबित करने का समय सीमित कर दिया था। शीर्ष अदालत ने बहुमत के दावे के आधार के प्रमाण तलब कर लिये हैं।

आज जो कुछ यह घट रहा है और 2014 के बाद तो इसमें जिस तरह के बढ़ौत्तरी हुई है उसके परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा और क्या इसको रोका नही जा सकता है। आज की राजनीति एकदम सत्ता होकर ही रह गयी है। यदि आपके पास सत्ता है तो आप राजनीति में प्रसांगिक हैं अन्यथा नहीं फिर यह सत्ता केवल पैसे के बल पर ही हासिल की जा सकती है। इस पैसे के लिये राजनेता को या तो स्वयं उद्योगपति होना पड़ता है या फिर उद्योगपति का पक्षकार। आज सारी राजनीति इसी के गिर्द केन्द्रित होकर रह गयी है क्योंकि प्रत्यक्ष सत्ता के लिये चुनाव की सीढ़ी चढ़कर आना पड़ता है और हर बार बढ़ते चुनाव खर्च से यह सीढ़ी ऊंची ही होती जा रही है। यही खेल भ्रष्टाचार को अंजाम देता है। ऐसे में जबतक चुनाव को खर्च से मुक्त नही किया जाता तब तक सत्ता के राजनेता को भ्रष्ट होने से नहीं बचाया जा सकता है। मेरा मानना है कि चुनाव को खर्च से मुक्त किया जा सकता है। इसके लिये एक व्यवहारिक मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है। इसके लिये क्या किया जा सकता है इसकी चर्चा आगे करूंगा।

झारखंड चुनाव में प्रारंभ हो गया कॉरपोरेट वार

झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में पार्टियों की चुनावी लड़ाई के बीच कॉरपोरेट इंट्रेस्ट भी उभरकर सामने आने लगा है। कॉरपोरेट घरानों की रुची को देखते हुए इस चुनाव को कॉरपोरेट वार की संज्ञा दी जा सकती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्यूज 18 के संपादकीय विभाग को साफ तौर पर हिदायत दी गयी है कि झारखंड भाजपा के बागी नेता सरयू राय की कोई भी सकारात्मक खबर नहीं चलानी है। दरअसल, रघुबर सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय का जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा ने टिकट काट दिया है। इसके बाद राय भाजपा से बगावत कर मुख्यमंत्री दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इस मामले को लेकर मचे घमासान के पीछे भी कॉरपोरेट इंट्रेस्ट को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

बता दें कि झारखंड खनिज संपदा में अग्रणी प्रांत है। यहां कई प्रकार के मूल्यवान खनिज पदार्थ प्रचूर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रचूर मात्रा में वन संपदा भी झारखंड के पास है। आंकड़े बताते हैं कि देश की अधिकतर ताप विद्युत्त परियोजना झारखंड के कोयले से चल रही है। लौह अयस्क के मामले में भी झारखंड धनी प्रांतों में से एक है। ऐसे में झारखंड में कॉरपोरेट का इंट्रेस्ट स्वभाविक हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। इन प्राकृतिक संपदाओं के विदोहन को लेकर ऑद्योगिक और व्यापारिक घरानों के बीच की लड़ाई भी पुरानी है। पहले भी भारत में कॉरपोरेट घरानों के बीच जंग की खबर आती रही है। झारखंड पहले भी इसका केन्द्र रहा है। संयुक्त बिहार और उसके बाद झारखंड में टाटा, बिरला, डिन्हाल्को, उषा मार्टिन, रुंगटा माईस बड़ा कॉरपोरेट प्लेयर था लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ है तब से झारखंड में कुछ नए कॉरपोरेट प्लेयर भी बड़ी तेजी से उभरे हैं, जिसमें अदानी, अम्बानी, जिंदल, एसआर आदि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। यही नहीं झारखंड की सबसे प्रभावशाली मारवाड़ी लॉबी भी झारखंड की राजनीति में न केवल हस्तक्षेप करता रहा है अपितु समय-समय पर इस राजनीति को प्रभावित भी करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में रघुबर के उभार से इस लॉबी को अब परेशानी होने लगी है। दरअसल, रघुबर दास की लॉबी ने एक रणनीति के तहत प्रदेश में नए-नए कॉरपोरेट को खड़ा कर दिया है। हालांकि इसके लिए केन्द्र की वर्तमान भाजपा लॉबी भी जिम्मेवार है।

इस नए व्यापारिक समीकरण के उभार के कारण पुराने व्यापारिक घराने बेहद दबाव महसूस कर रहे हैं। भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकार ने झारखंड में एसआर, एमटा पॉवर, अदानी, जिंदल को ज्यादा महत्व दिया है। इसके अलावा सरकारी ठेके पट्टे में भी बड़ी कंपनियों के स्थान पर स्थानीय ठेकेदारों को भाजपा ने प्रश्रय दिया है। इसके कई उदाहरण हैं। भाजपा की इस रणनीति के कारण पुराने कॉरपोरेट घराने और प्रदेश का प्रभावशाली व्यापारी एवं अभिजात्य समुदाय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ आंतरिक रूप से तो कुछ बाह्य रूप से भाजपा के विरोधियों को सहयोग करने लगे हैं। अभी हाल ही में झारखंड चेंबर ऑर कमर्स ने बाकायदा पत्रकार वार्ता कर भाजपा के खिलाफ पूरे प्रदेश के 13 विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दी है। चेंबर ने पत्रकार वार्ता के दौरान रघुबर सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इससे साफ लगने लगा है कि प्रदेश में कॉरपोरेट घरानों के बीच जम कर लड़ाई प्रारंभ हो गयी है।

जानकारों की मानें तो भाजपा के साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू पार्टी) का समझौते के टुटने का कारण भी कॉरपोरेट वार ही है। आजसू के केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के बारे में यह चर्चा आम है कि उनके संबंध मूरी स्थित हिन्डालको के साथ बेहद मधुर है। दूसरी ओर रघुबर सरकार से टाटा का प्रबंधन को खफा बताया जा रहा है। इसका प्रभाव समाचार माध्यमों पर भी देखने को मिल रहा है। जानकारों की मानें तो रघुबर दास के खिलाफ कॉरपोरेट की पुरानी लॉबी जबरदस्त तरीके से सक्रिय है, जबकि नए कॉरपोरेट घराने भाजपा को सहयोग कर रहे हैं। जानकारों की मानें तो प्रदेश में जो अप्रत्याशित राजनीतिक समीकरणों में परिवर्तन हुआ है वह संयोग नहीं है अपितु कॉरपोरेट घरानों की चाल है। यदि भाजपा की झारखंड में जीत होती है तो यह मान लेना चाहिए कि पुराने कॉरपोरेट के दिन झारखंड से लद गए और उन्हें रघुबर के रहमोकरम पर यहां व्यापार करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर झारखंड एक नए तरीके के कॉरपोरेट वार में फंस जाएगा। हालांकि पुरानी कॉरपोरेट लॉबी भी कमजोर नहीं है लेकिन नए के साथ सरकार खड़ी दिख रही है इसलिए संभावनाएं कुछ और संकेत दे रही है। इस चुनाव में प्रभावशाली व्यापारिक समूह जो प्रदेश के चेम्बर को लीड करती है उसकी भी स्थिति कमजोर होगी। फिर चेंबर को भी अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ सकता है।

– अक्षपाद् –

राज्यसभा का 67 वर्षो का लेखा जोखा 5,466 बैठकों में 3,817 विधेयक हुये पारित

ऊपरी सदन द्वारा पारित 60 विधेयक निचले सदन के भंग होने के कारण निरस्त हो गए, 63 विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित मान लिए गए
120 विधेयकों में संशोधन किया और लोक सभा द्वारा पारित पांच विधेयकों को अस्वीकार कर दिया
अब तक कुल 2,282 सदस्य, 208 महिला सदस्य और 137 मनोनीत
1952 में 15 महिला सदस्य जबकि 2014 में संख्या दोगुनी होकर 31 हुई

राज्य सभा के 1952 में अस्तित्व में आने के बाद उसके विधायी कार्यो की संख्या निर्धारित करने और उनका विश्लेषण करने के राज्य सभा सचिवालय के पहले प्रयास से यह जानकारी मिली है कि सदन ने पिछले और 249वें सत्र की समाप्ति तक 3,817 विधेयक पारित किए। इनमें से 60 विधेयक अलग-अलग समय पर लोक सभा भंग होने के कारण निरस्त हो गए, जबकि 63 विधेयकों को ऊपरी सदन द्वारा पारित मान लिया गया। उसके द्वारा पारित दो विधेयक अभी भी लोकसभा में लिए जाने हैं। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद से संसद द्वारा कुल 3,818 कानून बनाए गए।

सदन के कामकाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में आंकड़ों के साथ जानकारी और अन्य विवरण एक प्रकाशन 'राज्य सभा' द जर्नी सिंस 1952' जिसे सभापति एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं की बैठक में जारी किया। नायडू ने यह बैठक राज्य सभा के शुरू हो रहे ऐतिहासिक 250वें सत्र का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने के लिए विभिन्न दलों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से बुलाई थी।

29 अध्यायों के साथ 118 पृष्ठों का प्रकाशन दिलचस्प आंकड़ों के साथ तैयार संगणक है, इसमें सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक बदलाव, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और अब तक किए गए 103 संविधान संशोधनों के उद्देश्य के संबंध में राज्य सभा द्वारा पारित प्रमुख विधेयकों के विवरण के अलावा पहली बार उठाए गए कदमों और कुछ अनोखी घटनाओं का विवरण है।

राज्य सभा की 13.05.1952 को पहली बैठक के बाद पिछले 67 वर्षो के दौरान सदन की यात्रा से जुड़ी जानकारियों की एक झलक नीचे दी गई है:

सदस्य: राज्य सभा के एक से अधिक बार रहे सदस्यों, 208 महिलाओं, 137 मनोनीत सदस्यों सहित अब तक कुल सदस्यों की संख्या 2282 रही है। डॉ. महेन्द्र प्रसाद सबसे अधिक सात बार सदस्य रहे और डॉ. मनमोहन सिंह का छठा कार्यकाल चल रहा है। डॉ. नजमा हेपतुल्ला और स्वर्गीय राम जेठमलानी छह बार सदन के सदस्य रहे। गुलाम नबी आजाद, ए.के. एंटनी, अहमद पटेल और अम्बिका सोनी का पांचवां कार्यकाल चल रहा है, जबकि प्रणब मुखर्जी, स्वर्गीय भूपेश गुप्ता, सीता राम केसरी, सरोज खापर्डे, बी.वी.अब्दुला कोया उन 11 सदस्यों में से हैं, जो पांच बार ऊपरी सदन के सदस्य रहे। राज्य सभा के सभापति नायडू उन 45 सदस्यों में हैं, जो चार बार सदस्य रह चुके हैं।

राज्य सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1952 में 15 (6.94 प्रतिशत) से बढ़कर 2014 में 31 (12.76 प्रतिशत) और इस समय 2019 में 26 (10.83 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सभा से जुड़ी कुछ अनोखी घटनाएं:

सभापति द्वारा मतदान: पहला और एकमात्र ऐसा मौका आया, जब राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी पैनल के अध्यक्ष एम.ए.बेबी ने 5.08.1991 को मतदान किया। उस समय विपक्ष द्वारा रखे गए संवैधानिक संकल्प पर बराबर-बराबर 39-39 मत मिले। इसमें विपक्ष ने आपराधिक प्रक्रिया (संशोधन) अध्यादेश कोड को नामंजूर करने की मांग की थी। इसके कारण सदन में विपक्ष की विजय हुई।

केवल राज्य सभा द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी: तमिलनाडु और नगालैंड में 1977 में और 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में केवल दो बार ऐसा हुआ, जब लोक सभा भंग थी।

न्यायाधीश को हटाना: राज्य सभा ने केवल एक बार 18.08.2011 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के मामले में न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन लोकसभा में यह प्रस्ताव लाये जाने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

सदस्यों का निष्कासन: राज्यसभा ने 15.11.1976 को डॉ. सुब्रहमण्यम स्वामी को निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव स्वीकार किया। उनके आचार और गतिविधियों को एक समिति ने सदन और उसके सदस्यों की मर्यादा के लिए अपमानजनक पाया। डॉ. छत्रपाल सिंह को 23.11.2005 को निष्कासित कर दिया गया, जब आचार समिति ने उन्हें सवाल पूछने के लिए धनराशि लेने का दोषी पाया। डॉ. स्वामी साक्षी महाराज को एमपी लैड योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की सिफारिश में अनियमितताओं के लिए 21.03.2006 को निष्कासित किया गया।

सदन के शेष सत्र के लिए सदस्यों का निलंबन: महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन के कामकाज में जानबूझकर बाधा पहुंचाने के लिए 219वें सत्र के शेष दिनों के लिए सात सदस्यों यानी कमल अखतर, वीरपाल सिंह यादव, डॉ. एजाज अली, साबिर अली, सुभाष प्रसाद यादव, अमिल आलम खान और नंद किशोर यादव को 09.03.2010 को निलंबित कर दिया गया।

सदस्य की निंदा: राज्य सभा के पूर्व सदस्य के.के. तिवारी को सदन में बुलाया गया और 01.06.1990 को समाचार पत्रों में छपे एक बयान के लिए उनकी निंदा की गई, जिससे अध्यक्ष और सदन का अपमान और अवमानना हुई।

राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक, लेकिन लोक सभा द्वारा अस्वीकृत: संविधान (64वां संशोधन) विधेयक 1990, जिसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में अनुच्छेद 356 में संशोधन करने को कहा गया था।

लोक सभा द्वारा पारित विधेयक लेकिन राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत: संविधान (24वां संशोधन) विधेयक, 1970 जिसमें प्रीवी पर्स और भारत की पूर्व रियासतों की सुविधाओं को समाप्त करने, बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977- संविधान (64वां संशोधन) विधेयक 1989, जिसमें पंचायतों से जुड़े संविधान में नया हिस्सा IX शामिल करने, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े 1989 के संविधान (65वें संशोधन) विधेयक और आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 को समाप्त करने की बात कही गई थी।

राज्यसभा में दो बार विचार के लिए लाए गए विधेयक: राज्य सभा ने संसद (अयोग्यता की रोकथाम) संशोधन विधेयक 17.05.2006 को उसी रूप में पारित किया, जिसमें लोक सभा ने इसे पारित किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे दोबारा विचार के लिए 30.05.2006 को राज्यसभा को भेज दिया। राज्य सभा ने इस पर दोबारा विचार किया और इसे 27.07.2006 को पारित कर दिया। और लोकसभा ने इसे चार दिन बाद पारित किया तथा 18.08.2006 को इसमें राष्ट्रपति की मुहर लग गई।

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में पारित विधेयक:

दहेज निरोधक विधेयक, 1959 सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया और पारित किया गया। राज्य सभा ने बाद में इसमें कुछ संशोधनों पर जोर दिया, जिस पर लोक सभा सहमत नहीं हुई। इस विधेयक को 09.05.1961 को संयुक्त बैठक में पारित किया गया।

बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया और पारित किया गया, जिसे राज्य सभा ने अस्वीकार कर दिया। इसे 16.05.2018 को संयुक्त बैठक में पारित किया गया।

आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 लोकसभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन राज्य सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसे बाद में 26.03.2002 को संयुक्त बैठक में पारित किया गया।

राज्य सभा में पहली बार हुए कुछ कार्य :

सदन की पहली बैठक 13.5.1952 को आयोजित की गई।

पहला विधेयक पारित: भारतीय शुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1952

सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पहला विधेयक: विशेष विवाह विधेयक, 1952

पहला संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित: लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पुनरूसमायोजन के लिए प्रति निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या का आकार बढ़ाकर संविधान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1953

कानून और व्यवस्था पर पहला विधेयक: निवारक नजरबंदी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1952

आयात पर पहला विधेयक: पशुधन आयात (संशोधन) विधेयक, 1953

मीडिया संबंधी पहला विधेयक: प्रेस (आपत्तिजनक मामले) संशोधन विधेयक, 1953

राज्यों के पुनर्गठन पर पहला विधेयक : आंध्र राज्य विधेयक, 1953

स्वास्थ्य शिक्षा पर पहला विधेयक: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1955

शहरी विकास पर पहला: फरीदाबाद विकास निगम विधेयक, 1955

कृषि पर पहला विधेयक: कृषि उपज (विकास और भंडारण निगम) विधेयक, 1956

अखिल भारतीय सेवाओं पर पहला विधेयक: अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, 1958

पहला सुरक्षा संबंधी विधेयक: सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां विधेयक, 1958

जानवरों से संबंधित पहला विधेयक : जानवरों के साथ क्रूरता निवारक विधेयक, 1959

पहला कॉरपोरेट अधिकार विधेयक : द जयंती शिपिंग कंपनी (प्रबंधन को अधिकार में लेना) विधेयक, 1966

प्रदूषण पर पहला: जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969

पहला राष्ट्रीयकरण विधेयक: बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विधेयक, 1970

आर्थिक अपराधों के खिलाफ पहला विधेयक : आर्थिक अपराध (सीमा की अक्षमता) विधेयक, 1974

समझा जाता है कि पहला वित्त विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1978

आतंकवाद का जिक्र करने वाला पहला विधेयक: आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1984

लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों और राज्य सभा द्वारा संशोधित: ऐसे 120 विधेयकों में शामिल हैं: कंपनी विधेयक, 1953, यूजीसी विधेयक, 1954, संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978, चिट फंड विधेयक, 1982, भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक, 1988, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण विधेयक, 2002, विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2005, भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2016, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद विधेयक, 2019 और मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019.

राज्य सभा द्वारा 1952 के बाद क्षेत्रवार पारित सबसे प्रभावी विधेयकों में शामिल हैं:

हिंदू विवाह और तलाक विधेयक, 1952, हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, 1954, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक, 2012, मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण) विधेयक, 2019 और संविधान (103वां) संशोधन कानून, 2019 जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को आरक्षण प्रदान करता है।

कंपनी विधेयक, 1953 (1956 और 2013 के), बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक, 1970, कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधेयक, 1973, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम विधेयक, 1999, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक, 2003, काले धन (अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति) और टैक्स विधेयक, 2015, सीएसटी शुरू करने वाला संविधान संशोधन विधेयक, 2016, भगौड़े आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016.

राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1956, पूर्वोत्तर परिषद विधेयक, 1969, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक, 1985, पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के साथ सीधे चुनाव कराने वाला संविधान 73 वें और 74 वें संशोधन कानून, 1992, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019.

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक विधेयक 1981, कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक 1985 और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड विधेयक 1987

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 1955, प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) विधेयक 1991, मानव अंगों का प्रत्यारोपण (संशोधन) विधेयक 2011 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधोयक, 1954 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009

वन्य जीव (संरक्षण) विधेयक, 1972, वन (संरक्षण) विधेयक, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) विधेयक, 1986, क्षतिपूर्ति वनीकरण विधेयक, 2016

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) विधेयक, 1967, आंतरिक सुरक्षा रखरखाव विधेयक, 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, 1980, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) विधेयक, 1985, आतंकवाद निरोधक विधेयक, 2002, राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक, 2008 और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019

राज्य सभा द्वारा पारित अन्य प्रभावशाली विधेयकों में शामिल हैं, राजभाषा विधेयक,1963, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और आपूर्ति रखरखाव विधेयक, 1980, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1989, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) (विधेयक) 1991, अयोध्या में विशेष स्थानों का अधिग्रहण विधेयक, 1993, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1995, विद्युत नियामक आयोग विधेयक, 1998, सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 2000, सूचना का अधिकार विधेयक, 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, 2005, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) विधेयक, 2016 और मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रकाशन में अपनी प्रस्तावना में, सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, 'वास्तव में, राज्यसभा एक जीवंत और दूरदर्शी संस्थान रहा है। इसे लोगों विशेष रूप से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक जोश तथा उत्साह के साथ कार्य जारी रखना चाहिए। फिर भी, कुछ छूटे हुए अवसरों से इन्कार नहीं किया जा सकता। हमें पिछले 67 वर्षो के अनुभव से सीखने और नए भारत के निर्माण के लिए अपनी संसद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्रों के समूह में हमें बेहतर स्थान मिले। इन प्रयासों को तत्काल करने की आवश्यकता है, ताकि खोये हुए अवसरों को फिर से प्राप्त किया जा सके।'

- पृष्ठ का -

रीतू देवी ने आत्म विश्वास के बूते बनाई अलग पहचान

जीवन में बढ़ने का अवसर सबको ही मिलता है परन्तु कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अवसरों का उपयोग कर सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी ही कहानी है कांगड़ा जिला की रीतू देवी की। कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां तहसील में स्थित है कालीजन गांव। इस गांव की रीतू देवी ने अपने दृढ़ निश्चय व आत्मविश्वास के बूते अलग पहचान बनाई है। अपनी मेहनत द्वारा किये जा रहे कार्य के कारण वे और लोगों के लिए

भी प्रेरणास्त्रोत बनी हुई है।

रीतू ने जिदंगी की तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपने घर की आर्थिक स्थिति को बदल डाला है और एक नई सामाजिक पहचान बनाई है।

बाहरवीं तक पढ़ी रीतू जब शादी करने के उपरांत जब कालीजन गांव में अपने ससुराल आई थीं, उस समय घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से उसने अपने पति के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बंटाना शुरू कर दिया, परन्तु दोनों मिलकर भी इतना नहीं कमा पाते थे कि अपने परिवार की सही ढंग से परवरिश कर सकें। ऐसे में रीतू को पंजाब नैशनल बैंक के धर्मशाला स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उस्तेहड़ में चलाए गए उद्यमिता जागरूकता शिविर में संस्थान द्वारा करवाये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिली। उन्हें आशा की किरण नजर आई और उन्होंने तुरन्त 10 दिन के डेयरी व बकरी पालन कोर्स के प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर दिया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण पाकर इनके आत्मविश्वास में काफी वृद्धि हुई। फिर क्या था हौंसलों को उड़ान मिल गई। वे बताती हैं कि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपने पति के साथ लगभग 1.40 लाख रूपये की पूंजी लगाकर डेयरी फार्मिंग का कार्य शुरू किया। जिसमें से एक लाख रुपये पंजाब नैशनल बैंक समलोटी से ऋण लिया तथा 40 हजार रुपये स्वयं से निवेश किये। मेहनत और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान के बूते देखते ही देखते दिन बदलने लगे। आज रीतू ने 3 जर्सी गाय तथा 3 बकरियां पाल रखी हैं। जिससे लगभग 18 किलो दूध प्राप्त हो रहा है। वे दूध को आसपास के गांवों में बेचते हैं और हर महीने लगभग 10 हजार रूपये कमा रही हैं तथा साथ ही बैंक द्वारा लिए गये लोन की किश्ते भी अदा कर रही हैं। जीत कुमार का कहना है कि रीतू के आत्मविश्वास ने उनके परिवार की जिन्दगी बदल दी है।

पंजाब नैशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक महेन्द्र सिंह बताते हैं कि संस्थान जरूरतमंद एवं इच्छुक लोगों को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण देता है, ताकि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर हो सकें। वे बताते हैं कि संस्थान 18 से 45 वर्ष तक की महिलाओं और पुरूषों को डेयरी फार्मिंग, खुम्ब उत्पादन, सब्जी नर्सरी प्रबंधन और सब्जियों की खेती, आलू एवं प्याज की खेती और प्राकृतिक संरक्षण, अचार और पापड़ बनाना, खिलौने बनाना, डुने पत्तल बनाना, कपड़े के बैग बनाना तथा मोबाईल रिपेयरिंग जैसे विभिन्न रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं, जिसके द्वारा वे स्वरोजगार हेतु जिला कांगड़ा के किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि सभी जिलावासियों विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया जा रहा है। प्रशासन के इन प्रयासों में पंजाब नैशनल बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों से लोग क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर एवं कौशल विकास से स्वरोजगार अपनाकर स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ें हैं। जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं सहित सभी लोगों को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

भाखड़ा बांध विस्थापितों को अवैध कब्जे नियमित करने के लिए अंतिम अवसर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। इसके लिए समस्त हितधारकों को आवेदन करने के लिए 30 नवम्बर, 2019 तक का समय दिया गया है।

बिलासपुर जिला क उपायुक्त ने बताया है कि राजस्व विभाग ने लाभार्थियों को अन्तिम मौका प्रदान किया गया है। बिलासपुर शहर के मूल विस्थापित/अलॉटी व उनके जायज वारिस (जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लाट आबंटित हुआ हो) लाभार्थियों व बाद के क्रेता जिन्होंने बिलासपुर शहर में अवैध कब्जा/निर्माण कर रखा है, वे निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र 30 नवम्बर, 2019 तक दे सकते हैं। यह आवेदन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र उपमण्डलाधिकारी (ना.) सदर, तहसीलदार सदर व कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर व पटवार वृत मेन-मार्किट पर पटवार वृत डियारा (बिलासपुर) के कार्यालय में 30 नवम्बर तक किसी भी कार्यदिवस में प्रात: 10 बजे से पांच बजे तक प्राप्त किए जा सकते है। यह अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है व इसके बाद आवेदन लेने की अवधि नही बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने यह भी सूचित किया है कि बिलासपुर शहर के मूल विस्थापित/अलॉटी व उनके जायज वारसान जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा है उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

प्लास्टिक छोड़ो पर्यावरण बचाओ अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट

शिमला/शैल। राष्ट्रीय सेवा भारती से संबद्ध प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान द्वारा चलाए जा रहे, 'प्लास्टिक छोड़ो पर्यावरण बचाओ' अभियान के तहत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुषेश आर्य ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नई दिल्ली में मुलाकात कर हैंड मेड पेपर बैग देकर अभियान में मदद के लिए निवेदन किया। इसे मुख्यमंत्री ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया एवं भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने अभियान के सफलता की कामना की और कहा कि प्रदेश इस दिशा में सकारात्मक कार्य कर रहा है और पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

लगभग डेढ़ दशक से बंजर भूमि पर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से खेतों में फिर उगने लगा फसल रूपी सोना

ग्राम पंचायत देई का नौण के गांव घुमारड़ा की जिला मुख्यालय हमीरपुर से दूरी लगभग 7 कि.मी. है। यहां का किसान बंदर, जंगली खरगोश, सांभर आदि के कहर से खेती-बाड़ी से दूर होता जा रहा था। जिन खेतों में कभी बढ़िया गेहूं व मक्की उगती थी, वहां केवल पशु चारा जैसे जौई व बरसीम उगाने को किसान मजबूर थे। उसे भी यह जानवर तबाह कर देते थे। बेसहारा पशुओं ने उनकी समस्या और बढ़ा दी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत सौर बाड़बंदी यहां के जागरूक किसानों के लिए वरदान बन कर आई है। जंगली जानवरों के उत्पात के कारण लगभग डेढ़ दशक से बंजर और खाली पड़ी गांव की जमीन आज फसलों से खूब लहलहा रही है।

गांव के किसान व पूर्व सैनिक मस्तराम ने बताया कि उन्हें कृषि विभाग के माध्यम से इस योजना के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने सौर ऊर्जा चालित बाड़बंदी के लिए आवेदन किया। उनकी जमीन 8 कनाल व सात कनाल के दो हिस्सों में नाले के आर-पार स्थित है। लगभग दो वर्ष पूर्व दोनों हिस्सों की बाड़बंदी के लिए विभाग से सम्पर्क किया। इस पर लगभग चार लाख रुपए व्यय हुए जिनमें से मस्तराम को केवल 80 हजार रुपए का खर्च ही वहन करना पड़ा और शेष राशि अनुदान के रूप में प्रदेश सरकार की ओर से अदा की गई। दो वर्ष तक बाड़बंदी के रखरखाव व मरम्मत की गारंटी संबंधित कंपनी द्वारा दी गई।

शून्य लागत प्राकृतिक खेती से प्रेरणा ले रसायनिक खादों को दी तिलांजली – बाड़बंदी के उपरांत अब 15 कनाल की उनकी जमीन फिर से फसल रूपी सोना उगाने लगी है। गत दो वर्षो में वे अपने खेतों से लगभग 10 क्विंटल गेहूं, सात क्विंटल मक्की तथा लगभग तीन क्विंटल धान की फसल विभिन्न फसल चक्र में प्राप्त कर रहे हैं। मस्तराम के बेटे राजकुमार भी पूर्व सैनिक हैं और खेती-बाड़ी में अपने पिता का हाथ बंटा रहे हैं। उन्होंने कृषि प्रशिक्षण शिविरों के दौरान शून्य लागत प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसी के अनुरूप गौमूत्र खेतों में कीटनाशक व गोबर केंचुआ खाद के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। उनका दावा है कि गत दो वर्षो से उन्होंने रासायनिक खादों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर रखा है।

सौर सिंचाई योजना से खेतों को मिला निर्बाध जल – जागरूक किसानों में शुमार मस्तराम ने प्रदेश सरकार की एक अन्य महत्वकांक्षी सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधा के लिए भी एक वर्ष पूर्व आवेदन किया। उन्होंने खेतों के समीप ही तीन अश्व शक्ति (हॉर्स पावर) का सोलर पैनल स्थापित किया, जिससे तीन फेस विद्युत उत्पादन हो रहा है। इस सोलर पैनल पर लगभग तीन लाख रुपए व्यय किए गए। इसमें मस्तराम को 10 प्रतिशत भाग के रूप में केवल मात्र 26 हजार रुपए ही वहन करने पड़े और शेष अनुदान राशि प्रदेश सरकार की ओर से दी गई।

खेतों में भू-जल स्तर अच्छा होने से उन्होंने एक कुआं भी कृषि विभाग के सहयोग से यहां निर्मित किया है। इस पर 70 हजार रुपए की अनुदान सहायता उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान की गई और डेढ़ लाख रुपए स्वयं वहन किए। मस्तराम का कहना है कि इससे उनकी सिंचाई संबंधी चिंता का समाधान हुआ है और हर मौसम में खेती के लिए निर्बाध जल उपलब्ध है। सौर ऊर्जा चालित सिंचाई योजना निर्मित होने के बाद उन्होंने स्प्रिंकलर विधि से खेतों की सिंचाई प्रारंभ की है जिससे पानी की भी बचत हुई है। अच्छी धूप के अतिरिक्त छांव में भी यह योजना लगातार कार्य करती रहती है।

मस्त राम ने इस तरह की योजनाएं संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सभी किसान इनका लाभ अवश्य उठाएं। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा है और किसान दोबारा खेती की ओर मुड़ रहा है।

वर्ष 1971 के युद्ध में सीमा पर अपनी वीरता का लोहा मनवाने वाले मस्तराम 60 फीसदी दिव्यांगता के बावजूद बुलंद हौसले व उन्नत तकनीक के कारण अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके खेतों की हरियाली से प्रोत्साहित मस्तराम के भाई मंगत राम ने भी अब सौर बाड़बंदी के लिए आवेदन कर दिया है।

हिप्पा में सात दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

शिमला/शैल। जनगणना 2021 की तैयारियां शुरू हो गई है। इस कार्य के लिए देशभर में कई स्तर पर प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं, जो राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे।

इसी श्रृंखला में एक सप्ताह का मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शिविर हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) फेयरलॉन में सम्पन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता निदेशक जनगणना एवं नागरिक पंजीकरण डॉ. एस. के. कपटा ने की। कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने सफल प्रशिक्षण के लिए पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि समय के साथ जनगणना का राष्ट्रीय महत्व अब किसी से अछूता नहीं। इस बार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। इस सप्ताह चले इस विशेष प्रशिक्षण में राज्य के 18 मास्टर ट्रेनरों को मकान सूचीकरण, मकानों की गणना के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 के लिए प्रशिक्षित किया गया। जनगणना निदेशालय के उप निदेशक राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य मास्टर ट्रेनरों को उनके काम में निपुण करना है ताकि आगे चल कर ये 18 मास्टर ट्रेनर लगभग 450 फिल्ड प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दें, जो अन्तिम स्तर पर लगभग 19500 पर्यवेक्षकों को और प्रगणकों का प्रशिक्षण करेंगे। शिविर में ट्रेनर को जनगणना मोबाइल ऐप के उपयोग के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई और हैंड्स-ऑन-ट्रेनिंग के तहत शहरी और ग्रामीण घरों तक ले जाया गया।

आई सैट फोन के लिए राज्यव्यापी संचार मॉक ड्रिल आयोजित

शिमला/शैल। राज्य सचिवालय में स्थापित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) मनोज कुमार की निगरानी में एक राज्यव्यापी संचार मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

मनोज कुमार ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने आपातकालीन संचार को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट फोन की संख्या में वृद्धि की है। यह कदम इस वर्ष सर्दी और मानसून के अनुभवों के बाद उठाया गया है, क्योंकि इस दौरान संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न विभागों को विभिन्न स्थानों के लिए 76 आई-सैट फोन प्रदान किए हैं।

मनोज कुमार ने कहा कि सेटेलाइट के माध्यम से संचार चैनल का परीक्षण किया गया है ताकि यह आपदा के समय बाधित न हो। अधिकारियों को तत्काल संचार प्रदान करने के लिए इस सेटेलाइट चैनल का समुचित परीक्षण किया गया है और आई सैट फोन के लिए एक मानक ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित किया गया है।

हिमाचल शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इण्डिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त किए

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को इण्डिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड सर्वेक्षण में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है।

ये पुरस्कार केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई

दिल्ली में इण्डिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स सम्मेलन-2019 के दौरान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को प्रदान किए। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में जय राम ठाकुर ने बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने और इनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए इण्डिया टुडे ग्रुप की सराहना की।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 83 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ प्रदेश केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। राज्य में 15,556 सरकारी व 3252 निजी स्कूल हैं। इसके अतिरिक्त 139 डिग्री कॉलेज, पांच विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय छः मेडिकल कॉलेज और आईआईटी कार्य कर रहे हैं, जबकि शीघ्र ही एम्स भी खुलने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि लोगों को उनके घरों के समीप गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पंजीकृत अस्पतालों में लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हिमकेयर योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 43 हजार लोगों उपचार सुविधा प्रदान करने पर 42 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना कारगर तरीके से कार्यान्वित की जा रही है और 35 हजार से अधिक लोगों को इसके अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 33 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गम्भीर बीमारी से ग्रस्त लोगों की देखभाल के लिए राज्य ने सहारा योजना भी आरम्भ की है। योजना के अन्तर्गत कैंसर, पक्षाघात, मांसपेशी से सम्बन्धित रोग, थैलेसीमिया और पार्किन्संस जैसी गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष भी स्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 192 पात्र लोगों को चार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। यहां स्वस्थ पर्यावरण, हरित आवरण और मनोरम घाटियां हैं, जिसके कारण विश्वभर से पर्यटक यहां आना पसन्द करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 93 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया गया। प्रदेश सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि राज्य की आर्थिकी में सुधार के साथ-साथ युवाओं रोजगार के अपार अवसर मिल सकें। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की सकारत्मक छवि बनाने और अनुच्छेद 370 हटाकर देश में सही मायनों में एकता स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अयोध्या में श्रीराम मन्दिर को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद के हल के लिए न्यायपालिका की भी सराहना की।

इण्डिया टुडे ग्रुप के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चौंगप्पा ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। टीवी टुडे के चेयरमेन एवं महाप्रबन्धक अरूण पुरी, अरूणचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, पुडूचेरी के मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के मंत्री इस समारोह में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया प्रसाद योजना के तहत चिन्तपूर्णी परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात की तथा उनसे केन्द्र की प्रसाद योजना के तहत चिन्तपूर्णी के लिए 45 करोड़ रुपये की परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर राज्य के पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करने वाली डिजिटल वॉल स्थापित करने के लिए वर्चुअल रियलिटी परियोजना के लिए मंत्री से धन उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। मंत्री ने इस संबंध में केन्द्र को शीघ्र प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने प्रसाद परियोजना के तहत धार्मिक पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत रिवाल्सर में आधारभूत ढांचे को मजबूत

करने के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रवेश स्थानों पर आकर्षक प्रवेश द्वार बनाने के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को यह आश्वासन दिया कि शीघ्र ही प्रदेश 'प्रसाद' अर्थात् तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राईव के तहत प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर भव्य और धरोहर मन्दिर तथा धार्मिक स्थल बनाने के लिए एक अलग परियोजना प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

एशियाड ओलंपिक में भारत ने करवाया है कबड्डी खेल का शुभारम्भः सीएस

शिमला/शैल। राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान शिमला में आयोजित की जा रही 43वीं अखिल भारतीय सिविल सेवाएं कबड्डी प्रतियोगिता सम्पन्न हो गई। प्रतियोगिता का समापन मुख्य सचिव व हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्रीकान्त बाल्दी ने किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि कबड्डी खेल देश के अन्य प्रदेशों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश का पुराना व प्रचलित खेल है। उन्होंने कहा कि भारत के इस प्राचीनतम खेल को एशियाड ओलंपिक में भारत द्वारा ही इसका शुभारम्भ करवाया गया है।

उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भारत के लगभग सभी राज्यों के सिविल सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय, संघीय क्षेत्रों की लगभग 40 टीमों के 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में भारतीय प्रो कबड्डी लीग के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया।

उन्होंने कहा कि 40 वर्षों के अन्तराल के बाद इस खेल की मेजबानी करने का अवसर हिमाचल प्रदेश सचिवालय खेल नियंत्रण बोर्ड को मिला है, जो अत्यन्त गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश महिला कबड्डी टीम का नेतृत्व प्रदेश की अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी पूजा ठाकुर ने किया, यह हमारे लिए अत्यन्त हर्ष की बात है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

43वीं अखिल भारतीय सिविल सेवाएं कबड्डी प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में केन्द्रीय सचिवालय दिल्ली की टीम विजेता, आर.एस.बी. चेन्नई उप-विजेता जबकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय की टीम तीसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार महिला वर्ग में आर.एस.बी. जयपुर विजेता, हिमाचल प्रदेश सचिवालय की टीम उप-विजेता तथा महाराष्ट्र सिविल सचिवालय की टीम तीसरे स्थान पर रही।

कृषि विभाग हिमाचल में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रहा हैः कृषि मंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बिक्री के लिए खोले गए केन्द्र की सफलता को देखते हुए, कृषि विभाग मण्डी और ऊना जिला में भी इस तरह के बिक्री केन्द्र खोलने पर विचार कर रहा है।

कृषि मंत्री राम लाल मारकण्डा ने कहा कि राज्य सचिवालय में खोला गया बिक्री केन्द्र सप्ताह में दो दिन कार्य कर रहा है और ग्राहकों की मांग के अनुसार भविष्य में इसे ज्यादा दिनों तक खोलने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर के ओहर तथा जिला चम्बा में प्राकृतिक खेती के उत्पादों के साप्ताहिक बिक्री केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य कृषि लागत को कम कर कृषि को लाभदायक बनाना विविध प्रकार के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से भूमि उपजाऊ बनती है और पर्यावरण सुरक्षित रखता है तथा किसानों की आर्थिकी में भी सुधार आता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इस दिशा में कृषि विभाग द्वारा किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

राम लाल मारकण्डा ने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत इस वर्ष 50 हजार किसानों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक 20 हजार किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इनमें से 15 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती आरम्भ कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जैविक सब्जियों के विशेष आउटलेट का शुभारम्भ

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचपीएसआर एलएम) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा उगाई जाने वाली जैविक सब्जियों के विक्रय के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में विशेष आउटलेट खोला गया।

ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ललित जैन ने बताया कि यह सब्जियां स्वयं सहायता समूह द्वारा प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि जिला शिमला के बसन्तपुर खण्ड के गांव घैणी गांव के हिमालय के नाम के तहत कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों के 30 सदस्यों द्वारा उगाई जा रही हैं।

इन किसानों को प्राकृतिक खेती अभियान के तौर पर हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रशिक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

यह उपज बिना कीटनाशकों के उपयोग और गाय के गोबर और गोमूत्र के साथ नीम आदि के उपयोग से तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन समूहों को उच्च किस्म के बीज और अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए पांच लाख रुपये तक की राशि प्रदान कर रहा है। इस समूह की चार महिलाओं को चिन्मया संगठन ग्रामीण विकास विभाग धर्मशाला द्वारा 10 दिनों के आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसे ग्रामीण विकास द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित किया गया।

सचिवालय में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर खोली गई यह दुकान प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक खुली रहेगी। जहां पर सोमवार और वीरवार को जैविक विधि द्वारा उगाई गई सब्जियां विक्रय की जाएंगी। इस पायलेट प्रोजैक्ट के सफल होने पर प्रतिदिन यह जैविक सब्जियां बेची जाएंगी।

जैविक सब्जियों की बिक्री के शुभारम्भ के दिन ही महिलाओं ने 6.5 हजार रुपये की सब्जियां बेचीं।

मुख्य सचिव ने विभिन्न क्षेत्रों में हुए एमओयू पर वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की

शिमला/शैल। मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने इन्वेस्टर्स मीट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को लेकर सचिवों और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने पर्यटन, ऊर्जा, आवास और उद्योग क्षेत्रों में हुए एमओयू को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धारा-118 के अन्तर्गत स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध करवाने में विलम्ब न हो और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यकतानुसार लैंड बैंक विकसित किया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भूमिका चयन बिना विलम्ब हो ताकि निवेशकों को उनकी मांग के अनुरूप औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए शीघ्र भूमि आवंटित की जा सके।

डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने जानकारी दी कि हिम प्रगति पोर्टल की समीक्षा के लिए 26 नवम्बर को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भाग लेने के लिए निवेशकों को भी शिमला आमंत्रित किया गया है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

shailsamachar.co.in

क्या प्रदेश कांग्रेस की नयी ईकाई खेमेबाजी से मुक्त होगी?

शिमला/शैल। प्रदेश में कांग्रेस की पूरी राज्य ईकाई भंग कर दी गयी है। यह ईकाई भंग किये जाने की सूचना में कहा गया है कि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अनुशंसा पर किया गया है। लेकिन संगठन के भीतर ही कुछ लोगों का यह मानना है कि आने वाले दिनो में अध्यक्ष को भी बदल दिया जायेगा। कुलदीप राठौर बदल दिये जाते हैं या नही यह तो आने वाले दिनो में ही पता चलेगा। लेकिन यह सवाल तो चर्चा में आ ही गया है कि आखिर ईकाई भंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी। कुलदीप से पहले सुक्खु अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल काफी लम्बा भी हो गया था इसलिये उनका हटना तो तय ही था। भारी पड़े। इन्ही सत्ता केन्द्रों ने वीरभद्र ब्रिगेड खड़ा किया और जब ब्रिगेड के अध्यक्ष ने पार्टी अध्यक्ष सुक्खु के खिलाफ कुल्लु की अदालत में मानहानि का मामला तक दायर कर दिया। ब्रिगेड में शामिल कुछ प्रमुख लोगों को नोटिस जारी हुए तब यह ब्रिगेड भंग कर दिया गया तब अन्त में इस सबका परिणाम यह हुआ कि वीरभद्र सिंह ने सुक्खु को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटवाने को एक तरह से अपना ऐजैण्डा ही बना लिया। जब विधानसभा

के चुनाव हुए और पार्टी सत्ता से बाहर हो गयी तब फिर अध्यक्ष पर इसकी जिम्मेदारी डालने का प्रयास किया गया। इस पर जब सुक्खु ने यह जवाब दिया कि चुनाव टिकटों का अधिकांश आवंटन वीरभद्र की सिफारिश पर हुआ है तब वीरभद्र- सुक्खु विवाद थोड़े समय के लिये शांत हुआ। लेकिन अन्दर खाते सुक्खु को हटवाने की यह मुहिम जारी रही। जब सुक्खु को हटवाने के लिये आनन्द शर्मा, वीरभद्र, आशा कुमारी और मुकेश अग्निहोत्री में सहमति बन गयी तब इन सबकी लिखित सहमति पर सुक्खु को हटाया गया और कुलदीप राठौर को लाया गया। कुलदीप राठौर के जिम्मेदारी संभालने के बाद पार्टी के पुराने पदाधिकारियों को हटाने और उनके स्थान पर नयी नियुक्तियां करने की बजाये राठौर नै कार्यकारिणी का आकार ही दोगुने से भी अधिक कर दिया। उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों की संख्या ही इतनी बढ़ा दी कि एक तरह से इन पदों की गरिमा ही बनी नहीं रह सकी। राठौर ने यह बढ़ौत्तरी अपने तौर पर ही कर दी या जिन नेताओं ने राठौर को अध्यक्ष बनवाया था उनके कहने पर यह सब किया गया इसको लेकर आज तक सार्वजनिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नही हो पाया है। पार्टी के पदाधिकारियों की यह बढ़ौत्तरी उस समय की गयी जब लोकसभा के चुनाव सिर पर आ गये थे। राठौर जब इस जम्बो कार्यकारिणी को संभालने में लगे थे तभी लोस चुनावों के संभावित उम्मीदवारों को लेकर वीरभद्र जैसे वरिष्ठ नेता ही हर तरह के हल्के ब्यान दागने लग गये थे। इस सबके बावजूद भी जब भाजपा के पूर्व सांसद सुरेश चन्देल कांग्रेस में शामिल हुए और पंडित सुखराम ने भी घर वापसी कर ली तब प्रदेश कांग्रेस का सारा नेतृत्व एक ध्वनि से इसका लाभ नही उठा सका। बल्कि आज तक इन नेताओं को उस स्तर का मान सम्मान नही मिल पाया है जिसके यह हकदार थे। जबकि वीरभद्र के खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई के मामलों पर भाजपा ने चुटकीयां लेना लगातार जारी रखा। कांग्रेस एक बार भी भाजपा पर आक्रामक नही हो पायी है। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस लोकसभा की चारों सीटें भारी अन्तराल से फिर हार गयी। यही नही लोकसभा चुनावो के बाद हुए दोनो विधानसभा उपचुनाव भी कांग्रेस हार गयी। नेताओं ने अनुभवहीनता करार दिया है स्वभाविक है कि जब प्रदेश अध्यक्ष का एक उपचुनाव का आकलन ही फेल हो जाये तो राजनीति में यह एक बड़ी बात होती है क्योंकि लिखित में ऐसे आश्वासन कम ही दिये जाते हैं। अभी जयराम सरकार को दो वर्ष होने जा रहे हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस को भाजपा से सत्ता छीननी है तो उसे अभी से आक्रामकता में आना होगा लेकिन इसके लिये आज नयी टीम चुनते हुए यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोग पदाधिकारी न बन जायें जिनके अपने ही खिलाफ मामले निकल आयें। आज राठौर के पक्ष में सबसे बड़ा यही है कि उनका अपना दामन पूरी तरह साफ है। ऐसे में प्रदेश की ईकाई का नये सिरे से गठन कब तक हो जाता है और उसमें वीरभद्र - सुक्खु खेमों से ऊपर उठने का कितना प्रयास किया जाता है और कितने नये लोगों को संगठन में जोड़ा जाता है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।

यह माना जा रहा था कि संगठन के जो चुनाव लंबित कर दिये गये थे अब लोकसभा चुनावों के बाद वह पूरे होने थे और उसमें नया अध्यक्ष आना था। लेकिन इस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही सुक्खु को हटा दिया गया जबकि लोकसभा चुनाव सिर पर थे। राजनीतिक पंडितो का मानना है कि उस समय सुक्खु को हटाना कोई सही राजनीतिक फैसला नही था।

सुक्खु के समय वीरभद्र सिंह मुख्यमन्त्री थे दिसम्बर 2012 में वीरभद्र ने सत्ता संभाली थी। उस समय मुख्यमंत्री के चयन पर कांग्रेस विधायक दल आधा आधा दो हिस्सों में बंट गया था और इसका असर यह हुआ था कि मन्त्रीमण्डल के गठन के साथ ही दूसरे नेताओं की ताजपोषीयों का दौर भी शुरू हो गया। इन ताजपोशीयों में पार्टी के ''एक व्यक्ति एक पद'' के सिद्धान्त पर वीरभद्र का संगठन के साथ टकराव हो गया था। इस टकराव के कारण हाईकमान ने और ताजपोषीयां करने पर रोक लगा दी थी। वीरभद्र के संगठन के साथ टकराव का एक परिणाम यह हुआ कि वीरभद्र ने संगठन में विभिन्न स्तरों पर की गयी नियुक्तियों को आधारहीन लोगों का जमावड़ा करार दे दिया। इसी टकराव का परिणाम था कि वीरभद्र ने पैंतालीस विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे लोगों को ताजपोषीयां दे दी जिनका विधायक या विधायक का अधिकारिक रूप से चुनाव लड़ा था। इस तरह पैंतालीस चुनाव क्षेत्रों में समानान्तर सत्ता केन्द्र स्थापित हो गये। यही सत्ता केन्द्र चुनावों में पार्टी पर

कौन होगा प्रदेश का अगला मुख्य सचिव

शिमला/शैल। प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव डा. बाल्दी दिसम्बर में सेवानिवृत होने जा रहे हैं। सेवानिवृति के बाद डा. बाल्दी रेरा के अध्यक्ष हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने अभी हाऊसिंग विभाग का प्रभार छोड़ दिया है और सरकार ने रेरा के लिये आवेदन भी आमन्त्रित कर लिये हैं। डा. बाल्दी लम्बे समय तक प्रदेश के वित्त सचिव रहे हैं। केन्द्र के वित्त विभाग ने मार्च 2016 में प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर जो पत्र भेजा था वह उन्ही के कार्यकाल में आया था लेकिन इस पत्र के बावजूद डा. बाल्दी ने बतौर वित्त सचिव वीरभद्र को चुनावी वर्ष में कोई कठिनाई नही आने दी। हांलाकि मुख्यमन्त्री जयराम ने अपने पहले ही बजट भाषण में वीरभद्र सरकार पर अतिरिक्त कर्ज लेने का आरोप लगाया था परन्तु जयराम प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर कोई श्वेतपत्र जारी नहीं कर पाये। इसे डा. बाल्दी की ही सूझबूझ का परिणाम माना गया था। डा. बाल्दी से मिली वित्तिय विरासत को बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची ने संभाला और अब केन्द्र से वापिस आने के बाद फिर से उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है। भारत सरकार के 2016 के पत्र के मुताबिक राज्य सरकार अपनी तय सीमा से कहीं अधिक ऋण ले चुकी है क्योंकि एक समय सरकार स्वयं कह चुकी है कि वह जीडीपी का 33.96% ऋण ले चुकी है।

जयराम सरकार की पिछले कुछ समय से ऋणों पर निर्भरता ज्यादा बढ़ गयी है। सरकार औद्यौगिक निवेश जुटाने के पूरे प्रयास कर रही है ताकि उसका जीडीपी बढ़ सके। ऐसे में सरकार को एक ऐसे मुख्य सचिव और वित्त सचिव की आवश्यकता होगी जो सरकार को इस संकट से सफलता पूर्वक निकाल सके। इस परिदृश्य में जब मुख्य सचिव तलाशने की स्थिति आती है तब प्रदेश के वरिष्ठ नौकरशाहों पर नजर जाना स्वभाविक हो जाता है। इस समय सचिवालय में छः अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यरत हैं इनसे हटकर केन्द्र में इसी स्तर के प्रदेश के सात अधिकारी तैनात हैं जिनमें से दो इसी दिसम्बर में रिटायर हो जायेंगे इनके बाद अरविंद मैहता नवम्बर 2020 में तथा बृज अग्रवाल, संजीव गुप्ता और तरूण कुमार 2021 में रिटायर हो जायेंगे। यदि इनमें से किसी को बतौर मुख्य सचिव की तलाश में जाना होगा। वैसे तो अभी ही तीसरा मुख्यसचिव आयेगा ऐसे में जो अधिकारी सरकार के दिसम्बर 2022 तक के कार्यकाल तक चल सके उसी की ही तलाश करनी ज्यादा लाभप्रद रहेगी। इस गणित में अनिल खाची और राम सुभाग सिंह दो ही अधिकारी रह जाते हैं जिनकी सेवानिवृति जून और जुलाई 2023 में होगी। इन दोनों ही अधिकारियों का भारत सरकार में काम करने का अनुभव बराबर का रहा है। खाची केन्द्र में सचिव होकर कुछ ही समय पहले यहां से गये थे लेकिन कुछ कारणों से उन्हे वापिस आने की मजबूरी हो गयी और आ गये। राम सुभागसिंह प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे थे लेकिन कुछ लोगों को यह पसन्द नही आया और उन्हें पर्यटन में जानबूझ कर विवादित बना दिया। मुख्यमन्त्री को उनसे पर्यटन वापिस लेना पड़ा और जांच की बात करनी पड़ी। परन्तु इस जांच में ऐसा कुछ भी सामने नही आया है जिसे गलत कहा जा सके। राम सुभाग हिमाचल के रहने वाले नही है और खाची हिमाचली होने के साथ ही वरिष्ठ भी हैं। शिमला से ताल्लुक रखते हैं और राजनीतिक खेमेबाजी से दूर नियमों/कानूनो के पाबन्द माने जाते हैं। राम सुभाग ने केन्द्र में शान्ता कुमार के साथ काम किया है और एक तरह से इसका दण्ड भी भुगता है। ऐसे में खाची और रामसुभाग सिंह में से किसकी बारी आती है या अग्रवाल को ही जयराम फिर बुला लेते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हैं।